

प्रेस नोट

दिनांक 19.01.2021 को थाना लंका के उ0नि0 जय प्रकाश सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मोबाईल नम्बर 9554331105 से सूचना मिली कि डाफी टोल प्लाजा पर एक ट्रक संख्या: डब्लूबी-25 एच-8053 खड़ी है, जिसमें प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली ले जायी जा रही है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर मत्स्य विभाग से मत्स्य निरीक्षक राजेन्द्र कुमार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्र प्रसाद को सूचित करते हुए मौके पर पहुँचकर उक्त ट्रक से प्रतिबन्धित थाई मांगूर के मत्स्य बीज लगभग 20 टन बरामद हुआ तथा मौके से 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के आदेश अन्तर्गत धारा 144 द0प्र0 संहिता पत्रांक 143/थाई मांगूर विनिष्टीकरण/2020-21 दि0 04.7.2020 के क्रम में पकड़े गये ट्रक संख्या: डब्लूबी-25 एच-8053 सहित वाहन चालक एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0सं0अ0-053202/1 धारा 188/269/273 भादवि व 03 महामारी अधि 15/5 व 0 थाना लंका 0खाद्य सुरक्षा और मानक अधि63/(1)31 तथा 0पर्यावरण संरक्षण अधि वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. तापोस सिकंदर पुत्र पोकास सिकंदर निवासी ग्राम धानकल सारदापल्ली पश्चिम बंगाल।
2. सपन विश्वास पुत्र सुनील विश्वास निवासी ग्राधानकल सारदापल्ली प 0श्चिम बंगाल।
3. माधव मण्डल पुत्र सुनातन मण्डल निवासी ग्राम गोकन्नो जनपद मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरण -

1. ट्रक संख्या: डब्लूबी-25 एच-8053
2. लगभग 20 टन प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली के बच्चे।

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. मुख्य कार्यकारी अधिमत्स्य विभाग रविन्द्र प्रसाद 0, मत्स्य निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, उजयप्रकाश सिंह 0नि0 व कामनीष कुमार 0 थाना लंका, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 20.01.2021 को थाना सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-697/2008 धारा-302/34 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 25/27 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त जमील अहमद पुत्र मो0 आशिफ निवासी सी-19/228 लल्लापुरा थाना सिगरा, वाराणसी को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त जमील अहमद उपरोक्त को धारा-302 व 34 भादवि में आजीवन कारावास व रु0-10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर अभियुक्त जमील अहमद को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा-7 सीएलए एक्ट में छः माह का साधारण कारावास व रु0-500/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 19.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट, कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 370 व्यक्तियों से रु0-17,600/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1294 वाहनों का चालान, 13 वाहनों को सीज तथा 96 वाहनों से रु0-81,000/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 162 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5920 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1017 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 163 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 3095 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही, 08 व्यक्तियों के विरुद्ध 294 भादवि व 136 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।